समक्षः रिटर्निंग ऑफिसर,

द्विवार्षिक राज्यसभा निर्वाचन 2020, लखनऊ, उ0प्र0।

संदर्भः बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री रामजी के नामांकन के विरुद्ध कतिपय प्रस्तावकों द्वारा उनके हस्ताक्षर के विषय में उठाई गई आपत्तियों का निस्तारण।

आदेश

आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2020 को उ0प्र0 के राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन, 2020 की स्क्रूटनी के मध्य बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री रामजी के नामांकन के विरुद्ध श्री असलम चौधरी, सदस्य, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या–58 धौलाना, श्री मो0 असलम राइनी, एडवोकेट, सदस्य, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या–289, भिन्गा, श्री हाकिम लाल, सदस्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 258, हण्डिया एवं श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी, सदस्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 257, प्रतापपुर द्वारा इस आशय के शपथ–पत्र प्रस्तुत किए गए हैं कि श्री रामजी के नामांकन पत्र में उनके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 (2) (ग) में यह प्रावधानित है कि यदि किसी प्रस्तावक के हस्ताक्षर असली नहीं हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर नाम निर्देशन पत्रों की परीक्षा करेगा एवं संक्षिप्त जांच के पश्चात् आक्षेपों का विनिश्चय करेगा। प्रस्तुत प्रकरण में बहुजन समाज पार्टी की ओर से उपर्युक्त वर्णित प्रस्तावकों द्वारा दिए गए शपथ पत्रों के

28.10.2020
समय सायं-07.34

सापेक्ष अपने उत्तर शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी की ओर से यह कहा गया है कि उक्त सभी प्रस्तावकों ने श्री रामजी के नामांकन पत्र में हस्ताक्षर किए थे और यह कि उनका कहना गलत है कि उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए थे। बहुजन समाज पार्टी की ओर से उपरोक्त वर्णित प्रस्तावकों के शपथ पत्र में किए गए तथ्यों का खण्डन किया गया है और यह कहा गया है कि श्री रामजी के नामांकन पत्र में प्रस्तावकगण श्री असलम चौधरी, श्री मो0 असलम राईनी, एडवोकेट, श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी एवं श्री हाकिम लाल बिंद द्वारा किए गए हस्ताक्षर असली हैं। बहुजन समाज पार्टी की ओर से प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र में यह भी कहा गया है कि नामांकन के समय उक्त प्रस्तावकगण उपस्थित थे। इसका एक चित्र भी शपथ पत्र के साथ संलग्न किया गया है। बहुजन समाज पार्टी के शपथ पत्र में यह भी कहा गया है कि श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी द्वारा यह कहा गया है कि क्रमांक 7 पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर असली नहीं हैं, जबकि एक नामांकन पत्र में उनके द्वारा क्रम संख्या–6 पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसका उन्होंने खण्डन नहीं किया है। अतः प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिकथन मान्य नहीं हैं।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के सुसंगत प्रावधानों में वर्णित मंतव्यों के अनुरूप रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में मैंने इस संबंध में संक्षिप्त जांच सम्पादित की। मैंने उन सभी प्रस्तावकों से अपने समक्ष भी हस्ताक्षर कराए तथा उनका मिलान नामांकन पत्र में उनके हस्ताक्षरों से किया। इसके अतिरिक्त विधान सभा सचिवालय में रक्षित अभिलेखों से भी

प्रस्तावकों के हस्ताक्षर का मिलान किया गया। विधान सभा सचिवालय के समस्त माननीय सदस्य सत्र के दौरान उपस्थिति ली जाने वाली उपस्थिति पंजिका पर अपने हस्ताक्षर करते हैं। उपरोक्त वर्णित सभी प्रस्तावकों के नामांकन पत्र में किए गए हस्ताक्षरों का मिलान उपस्थिति पंजिका से भी मेरे द्वारा किया गया। मिलान करने पर यह पाया गया कि नामांकन पत्र में उपरोक्त प्रस्तावकों द्वारा जो हस्ताक्षर किए गए हैं उनमें और उपस्थिति पंजिका में उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षरों अथवा मेरे समक्ष उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षरों में कोई सारवान भिन्नता नहीं है। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत नहीं होता है कि नामांकन पत्र में उनके हस्ताक्षर असली नहीं हैं। इस स्तर पर रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में मेरे द्वारा संक्षिप्त परीक्षण किया जाना ही अपेक्षित है। इस संबंध में इस स्तर पर कोई विस्तृत जांच किया जाना सम्भव अथवा अपेक्षित नहीं है। इस स्तर पर, नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के समय, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के सुसंगत प्रावधानों और अपेक्षाओं के अनुरूप मेरे द्वारा सम्पादित की गई परीक्षा एवं संक्षिप्त जांच में उक्त प्रस्तावकों द्वारा श्री रामजी के नामांकन में किए गए हस्ताक्षर संदिग्ध प्रतीत नहीं होते हैं।

निष्कर्ष

संक्षिप्त जांच के पश्चात् मेरा यह समाधान है कि प्रथम दृष्टया बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री रामजी के नामांकन पत्र में उपर्युक्त वर्णित प्रस्तावकों द्वारा किए गए हस्ताक्षरों के विषय में कोई संदिग्धता प्रतीत नहीं होती है। वर्णित स्थिति में उपर्युक्त प्रस्तावकों द्वारा दिए गए

शपथ पत्र के आधार पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री रामजी के नामांकन पत्र की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उक्त के संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि श्री रामजी के एक नामांकन पत्र में, जिसकी क्रम संख्या–5 है, श्री मुजतबा सिद्दीकी के हस्ताक्षर क्रम संख्या–6 पर हैं, जबकि उनके अपने शपथ पत्र में यह कहा गया है कि क्रम संख्या–7 पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर सही नहीं हैं। चूंकि श्री सिद्दीकी के हस्ताक्षर क्रम संख्या–6 पर हैं, अतः शपथ पत्र में उनके द्वारा किया गया अभिकथन सही नहीं है एवं क्रम संख्या–6 पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षरों की प्रामाणिकता को कोई चुनौती नहीं दी गई है। अतः श्री रामजी का उक्त नामांकन पत्र जिसकी क्रम संख्या–5 है, अन्यथा भी वैध है क्योंकि इसके सभी हस्ताक्षर वैध हैं और उनकी प्रामाणिकता को चुनौती नहीं दी गई है।

प्रकरण का निस्तारण तदनुसार किया जाता है।

RETURNING OFFICER UP-CS-ELECTION BY ELECTED M.L.AS

28.10.2020
(अशोक कुमार)
विशेष सचिव एवं
रिटर्निंग ऑफिसर,
द्विवार्षिक राज्य सभा निर्वाचन 2020,
उत्तर प्रदेश।

प्रातः साय. 07:34